न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **30/2018 प्रार्थना पत्र रसद**

थानाधिकारी, पुलिस थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

श्री राजेश पालीवाल पिता श्री सुन्दरलाल पालीवाल, मकान नम्बर 21 ग्लास फैक्ट्री, पेट्रोल पम्प के पास, थाना प्रतापनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट

उपस्थितः— श्री प्रद्युम्नसिंह राणावत, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—17.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.01.17 को वृत्ताधिकारी वृत्त नगर पुर्व उदयपुर श्री भवगतसिंह हिंगड़ आरपीएस ने बमुकाम घटना स्थल महाराज सर्विस सेन्टर ग्लास फैक्ट्री पेट्रोल पम्प के पास मेन रोड़, थाना प्रतापनगर उदयपुर के वहॉ मूर्तिब शुदा पर्चा कायमी इस आशय की पेश कि की दिनांक 01.01.17 को जरिये मुखबीरर सूचना मिली की महाराजा सर्विस सेन्टर, ग्लास फैक्ट्री मेन रोड़, प्रतापनगर, का संचालक राजेश पालीवाल पिता सुन्दरलाल पालीवाल अवैध रूप से गैस की टंकियों में से गैस रिफलींग करके उंचे दामो में ग्राहको की गाड़ीयो में गैस भरने का काम करता हैं। सूचना विश्वसनीय होने से मन वृत्ताधिकारी मय वाहन सरकारी व चालक के कार्यालय से 6.00 पीएम पर रवाना हुआ। मुताबिक सूचना

मुखबीर के महाराजा सर्विस सेन्टर मेन रोड़ प्रतापनगर पहुॅचा जहॉ थानाधिकारी प्रतापनगर मय जाब्ता के मुताबिक निर्देश उपस्थित मिला। थानाधिकारी महिपाल चौधरी एवं जाब्ता के पुनः मुखबीर की विस्तृत सुचना से अवगत करा स्वतंत्र मौतबिरान की तलबी की गई तो पुलिस एवं न्यायालय की लम्बी प्रक्रिया के चलते कोई स्वतंत्र मौतबीर उपस्थित नहीं हूआ एवं अपने नाम पते बताने से इन्कार किया। इस पर उपस्थित जाब्ता मे से आरक्षी उमेश कुमार व संग्राम सिंह को मौतबीर मामुर कर महाराजा सर्विस सेन्टर मेन रोड़ प्रतापनगर जिसका मुख्य दरवाजा उत्तर तरफ हो चौक में से सर्विस सेन्टर हो अन्दर गोदाम बना हुआ हैं। गोदाम के शटर के पास ही एक टंकी गौ गैस की पड़ी हुई होकर उसमें रेग्युलेटर व पाईप लगी हुई तथा दुसरी तरफ पाईप में गन (गाड़ी में गैस किट लगने का) लगी हुई पड़ी थी जिसको टिलु पम्पई से जोड़ रखी थी। इस बाबत सर्विस सेन्टर के संचालक राजेश पालीवाल पिता सुन्दरलाल पालीवाल से पुछा गया तो बताया कि कोई मिलने वाला आ जाता है तो 50–60 रूपये एक्स्ट्रा लेकर गैस भर देता हूॅ। पास में ही एक कांटा पड़ा हुआ था। जो इलेक्ट्रोनिक हैं। गोदाम के अन्दर ही एक कमरा बना हुआ है जिसमें 7 गौ गैस तथा 4 भारत पेट्रोलियम की टंकिया पड़ी हुई थी। जिनमें गौ गैस की 4 टंकिया भरी हुई तथा 3 खाली थी व भारत पेट्रोलियम की चारो ही टंकिया खाली है। इस प्रकार भारत गैस की चारो खाली तथा गौ गैस की 4 खाली व 3 भरी टंकियो को अपने कब्जे में रखकर उनका गाड़ियो में रिफलिंग करने बाबत श्री राजेश पालीवाल को कोई लाईसेन्स या वैध कागजात के बारे में पुछा तो नहीं होना बताया। इस प्रकार राजेश पालीवाल द्वारा बिना लाईसेन्स व वैध कागजात के एलपीजी गैस की अलग अलग टंकियो को अपने कब्जे में रखना व गलत संसाधनो से रिफलिंग करना अपराध धारा ऑर्डर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्युशन 2000 के नियम 4 (1)(A)(D) तथा लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन

ऑफ युज इन मोटर व्हींकल) ऑर्डर 2001 के नियम 3 (2),6(1) का उल्लंघ्ज्ञन जो धारा 3/7 ईसीएक्ट क तहत दण्डनीय होने से सभी 12 ही गैस की टंकियो, टिलु पम्प मय पाईप, रेग्युलेटर एवं गन तथा तौल करने का कांटा को जरिये फर्द जब्त किया गया तथा राजेश पालीवाल को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् मुर्तिब शुदा पर्चा कायमी, जब्तशुदा गैस की टंकिया 12, टीलु पम्प मय पाईप, रेग्युलेटर एवं गन तथा कांटा व गिरफ्तार शुदा राजेश पालीवाल को मय फर्दात के उपस्थित के कायमी प्रकरण एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु पेश हैं। वगैरा पर अपराध संख्या 04/2017 जुर्म उपरोक्त में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया जब्तशुदा मालखाना एचएम मालाखाना को सिपुर्द किया गया हैं। दौराने अनुसंधान बयान प्रार्थी एवं गवाहान लिये गये घटनास्थल का निरीक्षण कया जाकर फर्द मूर्तिब कर संलग्न की गई। मुल्जिम राजेश पालीवाल को बाद अनुसंधान माननीय न्यायालय आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में केन्द्रीय कारागृह भेजा गया जो न्यायालय से जमानत मुचलके पर आजाद हैं। अनुसंधान के दौरान मूल्जिम राजेश पालीवाल ने जब्तशुदा गैस की टंकियो एवं कांटा तथा टीलु पम्प के कोई कागजात पेश नहीं किये। अतः जब्त शुदा टंकियो में 4 गैस की टंकिया भरी हुई है जिनको मालखाने में रखने के अलावा कोई सुरक्षित जगह नहीं है तथा भरी हुई गैस की टंकियो को मालखाने में रखना अत्यधिक जौखिम का कार्य है जिससे कभी भी कोई हादसा होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। अतः बाद अवलोकन मामलें में जब्तशुदा मालखाना (कुल 12 गैस की टंकिया, जिनमें 8 टंकिया गौ गैस की होकर 4 भरी हुई व 4 खाली तथा 4 टंकिया भारत पेट्रोलियम की खाली, टीलु व तौल का करने का कांटा) का धारा 6ए ईसीएक्ट के तहत निस्तारण करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजदु नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 20.11.18 को एक तरफा कार्यवाही गई गई।

प्रकरण में पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 01.01.17 को वृत्ताधिकारी वृत्त नगर पूर्व उदयपुर श्री भगवतसिंह हिंगड़ द्वारा मुखबीर की सूचना पर महाराजा सर्विस सेन्टर ग्लास फैक्ट्री मेन रोड़ प्रतापनगर के संचालक श्री राजेश पालीवाल द्वारा अवैध रूप से गैस की टंकीयो में से गैस रिफलिंग कर उंचे दामो पर ग्राहको की गाड़ियो में गैस भरने का कार्य करता है जिसकी दुकान की जॉच करने पर मौके पर 8 गौ गैस, 4 भारत पेट्रोलियम टंकीया पड़ी हुई मिली। जिसमें 4 गौ गैस की टंकीया भरी हुई तथा 4 खाली थी एवं भारत पेट्रोलियम की चारो ही टंकीया खाली थी। मौके पर राजेश पालीवाल से कागजात लाईसेंस संबंधी पूछने पर कोई कागजात नहीं होना बताया। श्री पालीवाल द्वारा कोई लाईसेंस या वैध कागजात के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर बिना लाईसेंस व वैध कागजात के एल पी जी गैस की अलग अलग टंकीयो को अपने कब्ज में रखना व गलत संसाधनो (टीलु पम्प एवं रेग्युलेटर) से रिफलिंग करना अपराध धारा ऑर्डर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्युशन 2000 के नियम 4 (1)(A)(D) तथा लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ युज इन मोटर व्हींकल) ऑर्डर 2001 के नियम 3 (2),6(1) का उल्लंघ्ज्ञन जो धारा 3/7 ईसीएक्ट के तहत दण्डनीय होने से श्री पालीवाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर टंकीयो को जब्त किया गया। अतः कुल 12 गैस की टंकीया जिनमें 8 टंकिया गौ गैस की होकर 4 भरी हुई एवं 4 खाली तथा 4 टंकिया भारत पेट्रोलियम की खाली, टीलु पम्प, तौर करने का कांटा को 6ए ई सी एक्ट के तहत निस्तारण करने हेतु थानाधिकारी थाना प्रतापनगर द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

थानाधिकारी प्रतापनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिवत होने से उक्त जब्त सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा किये जाने के आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि वृत्ताधिकारी श्री भगवतसिंह हिंगड़ द्वारा मुखबीर की सूचना पर श्री राजेश पालीवाल की महाराजा सर्विस सेन्टर की जॉच की गई। मौके पर कुल 12 गैस टंकीया पायी गई। जिनमें से 4 गौ गैस की टंकीया भरी हुई थी। 4 टंकीया गौ गैस की खाली थी। 4 टंकीया भारत पैट्रोलियम की खाली थी। मौके पर इन टंकीयो में से अवैध रूप से गैस को ग्राहको की गाड़ियों में रिफलिंग करने का अवैध कार्य किया जाता हैं। मौके पर गाड़ियो में गैस को रिफलिंग करने का अवैध संसाधन टीलू पम्प मय पाईप, रेग्यूलेटर एवं गन तथा तौल करने का कांटा पाये गये। जिससे प्रथम दृष्ट्या श्री पालीवाल द्वारा गैस का अवैध रिफलिंग गाड़ियो में की जाती रही हैं। मौके पर पालीवाल के पास में किसी प्रकार का लाइसेंस व वैध कागजात उपलब्ध नहीं मिले। इस प्रकार श्री पालीवाल द्वारा अपराध धारा ऑर्डर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्युशन 2000 के नियम 4 (1)(A)(D) तथा लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ युज इन मोटर व्हींकल) ऑर्डर 2001 के नियम 3 (2), 6(1) का उल्लंघ्ज्ञन जो धारा 3/7 ईसीएक्ट के तहत दण्डनीय होने एवं श्री पालीवाल के द्वारा 12 टंकीयो में एक साथ में गैस को एक ही जगह पर एकत्रित करने संबंधी विस्फोटक अधिनियम के तहत भी कोई प्राधिकार पत्र नहीं था। बीच आबादी में गैस का इस तरह से अवैध रिफलिंग करना भी काफी जोखिम पूर्ण व खतरनाक कार्य हैं। आस पास के लोगो का जीवन भी श्री पालीवाल द्वारा खतरे में डालने का कार्य किया गया हैं। इस संबंध में थानाधिकारी प्रतापनगर द्वारा विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया

जा रहा हैं। परन्तु मौके पर जब्त गौ गैस की भरी हुई 4 टंकिया मय गैस, 4 खाली टंकिया एवं भारत पेट्रोलियम की 4 खाली टंकिया मय टीलु पम्प व तौल करने का कांटा राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को प्रेषित कर लिखा जाता है कि उक्त 12 टंकिया मय 4 टंकियो की गैस एवं टीलु पम्प, तौल करने का कांटा का निस्तारण नियमानुसार किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कर चालान की प्रति न्यायालय को प्रेषित करावें। निर्णय की प्रति वृत्ताधिकारी वृत्त नगर पुर्व उदयपुर व थानाधिकारी प्रतापनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर